क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध टिप्पणी
	23-6-22	पत्रावली पेश की गई R.O. साहब / कार्य कन्ट्रोलेन्स अनुपस्थित होने दिनांक 28.7.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू
	28.7.22	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप० बहस पक्षकारान सुनी गई पत्रावली बाद आदेश दिनांक 10.8.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)
	10.8.22	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप० है प्रार्थीगण के वकील ने प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद ग्राम आसो वाले ग्राम अजमेरीपुरा तहसील कोटखावदा में स्थित है जिसके प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रेकॉर्ड काबिज खातेदार काश्तकार है, वर्णित आराजी के अलावा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 के स्वामित्व व कब्जे काश्त की शेष भूमि खसरा नं. 907, 908, 915, 916, 917, 964/1042, 965/1043, कुल किता 13 कुल रकबा 2.02 है. वाके ग्राम अजमेरीपुरा में जिसकी खातेदारी अप्रार्थी नं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रा.पत्र के मद नं. 1, व 2 की वर्णित भूमि प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण की पैतृक शेष भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण निश्चित हिस्से पर कब्जे काश्त है। वाद पत्र / प्रा.पत्र के मद नं. 2 में वर्णित भूमि अप्रार्थीगण के नाम होने से ... -2 भूमि विक्रय की ... है तथा ... करना चाहता ... प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के समान अनुपात तेजा के चार नातिन कथनाथ, जयनारायण, मेवाराम, मूलचन्द

उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:39:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बनाम

/20

या /वर्ष :

कार्यालय आदेश कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	तथा श्योराम है, श्योराम की मृत्यु हो चुकी है जिसकी विरासत के लिए पृथक वाद विचाराधीन है। रूघनाथ के श्योराम व नारायण के रामफूल व तीजा तथा मेवाराम के राधाकिशन व मूलचन्द के छान्नू वर्णित उत्तराधिकारी शेष हैं। इनका वादग्रस्त आराजी मे 1/4, 1/4 भाग निहित है। दिनांक 5.4.19 को अप्रार्थी नं. 1 दीगर व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त वाद के मद नं. 1, 2 की भूमि को बिना विभाजन के ही विक्रय करने हेतु दिखाने लगा, प्रार्थीगण ने पूछा तो क्रोधित हो गया तथा ऐलानिया धमकी दी की मे सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर रूपये वसूलूंगा अतः प्रार्थना पत्र 212 पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र के मद नं. 1, 2 की भूमि पर अप्रार्थीगण को ता. फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी का बेचान न करे अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील ने कथन किया कि मद सं. 2 राजस्व रिकार्ड से संबंधित है एवं अप्रार्थी-1 अपने हिस्से पर काबिज होकर निर्विवाद रूप से काश्त करता आ रहा है, प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कभी भी कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। वाद पत्र के मद नं. 2 मे वर्णित आराजी पैतृक कृषि भूमि है [illegible] है वास्तविकता मे मे मद सं. [illegible] भिन्न उत्तरदाता [illegible] नम्बर 229 मी. वाके ग्राम [illegible] पुरा तहसील चाकसू मे से निवापचक भूमि मे से 8 बीघा भूमि अलाटमैन्ट हुई थी जिसका नो (के) तेड़ा के नामान्तकरण संख्यां 14 दिनांक 3.1.1968	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:39:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	के अप्रार्थी सं. 1 के नाम खोला गया था जिस पर मिन उत्तरदाता काबिज चला आ रहा है तथा लगान अदा करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा मिन उत्तरदाता हैरान व परेशान करने के लिए मिथ्या तथ्यों पर वाद पेश कर स्थगन प्राप्त किया है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें। उभय पक्षकारान वकील को सुन व पत्रावली पर गौर किया तो पाया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 को आवंटित शुदा भूमि है जिस पर स्थगन आदेश प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर रखा है जो उचित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA खारिज किया जाना उचित समझते हैं अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:39:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner